न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—008/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. विकास पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी भुका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा जरिए कुदरती वली सगी माता मोहनी पत्नी कुम्भाराम		1. हीराराम पुत्र जसाराम 2. कुम्भाराम पुत्र हीराराम 3. राणाराम पुत्र हीराराम 4. रामाराम पुत्र हीराराम 5. वीरमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक— 26.11.2024

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य एवं मुतवफी जसाराम के वारिसान है। मुतवफी जसाराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भुंका भगतसिंह में खसरा संख्या 401 रकबा 12 बीघा 15 विस्वा, खसरा संख्या 435 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 540 रकबा 50 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 544 रकबा 102 बीघा 7 विस्वा, खसरा संख्या 522 रकबा 28 बीघा 12 विस्वा, खसरा संख्या 539 रकबा 4 विस्वा, कुल रकबा 202 [illegible] की अवस्थित है। जो भूमि जसाराम के फौत होने पर जरिए नामांतरकरण संख्या 3 [illegible] के पुत्र हीराराम के नाम अंकित हुई तथा सन् 2007 में डालू के [illegible] होने पर उक्त [illegible] जरिए नामांतरकरण संख्या 202 के डालू के वारिसान फुसाराम, [illegible] व रूखमो देवी पत्नी डालुराम के नाम दर्ज हुई। सन् 2010 में श्रीमान उप तहसीलदार, सिणधरी के आदेश से उपरोक्त खसरा संख्या की भुमि का हीराराम व डालुराम के वारीसान ने आपस में आपसी सहमती से विभाजन करवालिया। जिसके तहत हीराराम पुत्र जसाराम के हिस्से में ख.नं. 522 रकबा 14 बीघा 6 विस्वा, ख.न. 539 रकबा 4 विस्वा, ख.न. 540 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

540/1 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 544 रकबा 51 बीघा, 3 बिस्वा कुल रकबा 90 बीघा 10 बिस्वा भूमि हिस्से में आई तथा खसरा संख्या 401 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा संख्या 435 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि हिस्से में आई जिसका नामांतरकरण संख्या क्रमशः 1351 व 354 भरे गए। प्रतिवादी संख्या 1 हीराराम अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तथा अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर वादी के हितों की अनदेखी कर वादग्रस्त आराजी को बेचने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में मौजा भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 522, 539, 540, 540/1, 544 कुल रकबा 90 बीघा 10 बिस्वा व मौजा कालुऔणी डुडियों की ढाणी में स्थिति खेत खसरा संख्या 435, 401 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में वादी अपना 1/10 हिस्सा घोषित करवानें हेतु यह वाद पेश किया गया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 बावजूद सम्मन तामिल होने एवं सुनवाई हेतु उपस्थिति बाबत पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 6 के पैरोकार सरकार उप.।

3. प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 मोहनीदेवी, पी.डब्ल्यू–2 बालाराम के बयानात करवायें गयें। वादी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की प्रदर्श–01 खतौनी बंदोबस्त, प्रदर्श–02 नामांतरकरण संख्या 393, प्रदर्श–03 नामांतरकरण संख्या 202, प्रदर्श–04 नामांतरकरण संख्या 1013, प्रदर्श–05 नामांतरकरण संख्या 1351, प्रदर्श–06 नामांतरकरण संख्या 354, प्रदर्श–07 राशनकार्ड, प्रदर्श–08 आधारकार्ड, प्रदर्श–09 आधारकार्ड, प्रदर्श–10 भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–11 पहचान पत्र, प्रदर्श–12 जन्म प्रमाण पत्र, प्रदर्श–13 राशनकार्ड विवरण पेश किए गए।

4. हमनें वकील वादी की बहस सुनी गई थी। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 मुतवफी जसाराम के वारिसान है। मुतवफी जसाराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भुंका भगतसिंह में खसरा संख्या 401 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 435 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 540 रकबा 50 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 5[illegible] 102 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 522 रकबा 28 बीघा 12 बिस्[illegible] रकबा 202 बीघा 6 बिस्वा की अवस्थित है। जो भूमि जसाराम के फौ[illegible]न पर जरिए नामांतरकरण संख्या 393 जसा के पुत्र हीराराम के [illegible] में डालू के फौत होने पर उक्त भुमि जरिए नामांतरकरण संख्या 202 के डालू के वारिसान फुसाराम, पदमाराम, गोरधनराम देवाराम व रूखमों देवी पत्नी डालुराम के नाम दर्ज हुई। सन 2010 में श्रीमान उप तहसीलदसार सिणधरी के आदेश से उपरोक्त खसरान् की भूमि का हीराराम व डालुराम के वारीसान ने आपस में आपसी सहमती से विभाजन करवा लिया। जिसके तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

हीराराम पुत्र जसाराम के हिस्से में ख.नं. 522 रकबा 14 बीघा 6 विस्वा, ख.न. 539 रकबा 4 विस्वा, ख.न. 540 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, 540/1 रकबा 17 बीघा 7 विस्वा, ख.नं. 544 रकबा 51 बीघा, 3 विस्वा कुल रकबा 90 बीघा 10 विस्वा भूमि हिस्से में आई तथा खसरा संख्या 401 रकबा 6 बीघा 8 विस्वा तथा खसरा संख्या 435 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा कुल रकबा 10 बीघा 10 विस्वा भूमि हिस्से में आई जिसका नामांतरकरण संख्या कमशः 1351 व 354 भरे गए। प्रतिवादी संख्या 1 हीराराम अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तथा अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर वादी के हितों की अनदेखी कर वादग्रस्त आराजी को बेचने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में मौजा भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 522, 539, 540, 540/1, 544 कुल रकबा 90 बीघा 10 विस्वा व मौजा कालुऔणी डुडियों की ढाणी में स्थिति खेत खसरा संख्या 435, 401 कुल रकबा 10 बीघा 10 विस्वा में वादी अपना 1/10 हिस्सा घोषित किया जावे।

5.हमनें पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 मुतवफी जसाराम के वारिसान है। मुतवफी जसाराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भुंका भगतसिंह में खसरा संख्या 401 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 435 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 540 रकबा 50 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 544 रकबा 102 बीघा 7 विस्वा, खसरा संख्या 522 रकबा 28 बीघा 12 विस्वा, खसरा संख्या 539 रकबा 4 विस्वा, कुल रकबा 202 बीघा 6 विस्वा की अवस्थित है। जो भूमि जसाराम के फौत होने पर जरिए नामांतरकरण संख्या 393 जसा के पुत्र हीराराम जो कि वादी का दादा है, के नाम अंकित हुई तथा सन् 2007 में डालू के फौत होने पर उक्त भुमि जरिए नामांतरकरण संख्या 202 के डालू के वारिसान फुसाराम, पदमाराम, गोरधनराम देवाराम व रूखमों देवी पत्नी डालुराम के नाम दर्ज हुई। सन् 2010 में श्रीमान उप तहसीलदसार सिणधरी के आदेश से उपरोक्त खसरा संख्या की भुमि का हीराराम व डालुराम के वारीसान ने आपस में आपसी सहमती से विभाजन करवा लिया। जिसके तहत हीराराम पुत्र जसाराम के हिस्से में ख.नं. 522 रकबा 14 बीघा 6 विस्वा, ख.न. 539 रकबा 4 विस्वा, ख.न. 540 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, 540/1 रकबा 17 बीघा 7 विस्वा, ख.नं. 544 रकबा 51 बीघा, 3 विस्वा कुल रकबा 90 बीघा 10 विस्वा भूमि हिस्से में आई तथा खसरा संख्या [illegible] खसरा संख्या 435 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा कुल रकबा 10 बीघा 10 वि[illegible] भूमि [illegible] में आई जिसका नामांतरकरण संख्या कमशः 1351 व 354 भरे गए। वादी संयुक्त [illegible] परिवार के सदस्य होने से मुतवफी जसा का विधिक वारिस [illegible] की भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। ऐसी सूरत में वादी का वाद [illegible]कार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:55 IST
Reason: SelfAttested

8.लिहाज़ा वादी, का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 522, 539, 540, 540/1, 544 कुल रकबा 90 बीघा 10 विस्वा व मौजा कालुऔणी डुडियों की ढाणी में स्थित खेत खसरा संख्या 435, 401 कुल रकबा 10 बीघा 10 विस्वा की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

साथ सहखातेदार करार देते हुए वादी का 1/10 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्व वादी के हक की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। शेष बदूस्तर रहेंगा। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
(ए.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(ए.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:55 IST
Reason: SelfAttested